

delete

समाप्त

अनुसूची 14-फारम सं० 562


# आदेश - पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक-ता० ..... से ..... तक

जिला ..... सं० 33 सन् 2014-15

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत (S.T.) की भूमि बिक्री हेतु परमिश्वर

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
1	2	3										
<p><u>17-9-2014</u></p>	<p>आवेदक बिद्वेता जगु उरौव पिता स्व० मधुरा उरौव जाति उरौव सा० राजी टोला सिरपलीया पो० राजी थाना-अंचल-खरौधी जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड ने आवेदन पत्र देकर अपनी निम्नांकित भूमि की बिक्री केना श्रीमति कामनी देवी पति श्री धनेश्वर उरौव जाति उरौव सा० राजी टोला सिरपलीया पो० राजी थाना-अंचल-खरौधी जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के लिये करने हेतु अनुमति की मांग की है।</p> <p><u>भूमि का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम+थाना नं०</th> <th>खता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> <th>धोहरा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राजी 8</td> <td>136</td> <td>641</td> <td>0-75 डी०</td> <td>उत्तर रामदेवी उरौव द०- कामेश्वर उरौव प०- रास्ता कच्ची प०- विशदमाल उरौव</td> </tr> </tbody> </table> <p>(पंचदत्त 3/0 मात्र)</p> <p>आम इस्तहार निर्गत करें। संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 30-9-14 को करें।</p> <p style="text-align: right;">         अ० सु० उप सीमाहता        नगर उन्वारी।     </p>	ग्राम+थाना नं०	खता	प्लॉट	रकबा	धोहरा	राजी 8	136	641	0-75 डी०	उत्तर रामदेवी उरौव द०- कामेश्वर उरौव प०- रास्ता कच्ची प०- विशदमाल उरौव	<p><u>10-5-16</u> 13.5.16</p>
ग्राम+थाना नं०	खता	प्लॉट	रकबा	धोहरा								
राजी 8	136	641	0-75 डी०	उत्तर रामदेवी उरौव द०- कामेश्वर उरौव प०- रास्ता कच्ची प०- विशदमाल उरौव								

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

1

2

3

अभिलेख (उपस्थापित) अंचल अधिकारी खरोधी के पत्रांक 18 दिनांक 11-2-2015 से जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तहार की तामिया प्रति प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं एक ही जाति उराँव के हैं। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत भरी के पुत्र उराँव के हैं। खतियानी रैयत से आवेदक का संबंध बाबा/पोता का है एवं खतियानी रैयत के जमावदी रैयत का सम्बन्ध बाबा-पोता का है। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के पश्चात भी आवेदक भूमिधन की श्रेणी अन्तर्गत नहीं आते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति दी है।

अतः इनके अनुमति के आलोक में आवेदक के विक्रेता जगु आँप पिता स्व० मधुरा उराँव ग्राम राजी ताला सिवालिया थाना खरोधी जिला गढ़वा के निम्नांकित भूमि क्रेता श्रीमति कामनी देवी पति धनेश्वर उराँव ग्राम राजी ताला थाना खरोधी, जिला गढ़वा राज्य-भारत के द्वारा बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है।  
भूमि की बिक्री

ग्राम + थाना	क्रमांक	प्लॉट	रकबा	चौदरी
राजी	136	641	0.57 1/2 बी०	उत्तर- रामदेवी उराँव द०- धनेश्वर उराँव पू०- रास्ता, अच्यी प०- विरदपाल उराँव

(सादे सेनावन) उराँव रकबा दे दी मात्र

आवेदक एवं अवर निवेद्यक पदाधिकारी, नगर उन्तारी के सूचित करें।

लेखापति/सूचित

19/12/16  
अ० सु० वि० समाहती

19/12/16  
अ० सु० उप समाहती  
नगर उन्तारी